उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

UPPTCL

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division-II
Varanasi, 220 KV S/S Talwal Hydle Colony
Ghazipur pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eetd2vara@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय
वाराणसी220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र
तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर पिन
233001

पत्रांक 1644/वि0प्रे0ख0-II (वा)/ दिनांक 23/10/2019

विषय :– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 37.51 हेक्टेयर वन भूमि के लीज नवीनीण्करण के सम्बन्ध में ।

प्रभागीय वनाधिकारी
मिर्जापुर वनप्रभाग
मिर्जापुर

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 942/मिर्जापुर/15 दिनांक मिर्जापुर सितम्बर 05.2018 के सन्दर्भ में

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 400के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में मिर्जापुर–वन प्रभाग में प्रभावित कुल –37.51 हे0 वन भूमि के नवीनीकरण प्रस्ताव में कुछ कमियाँ दर्शायी गयी थी जैसे संयुक्त निरिक्षण प्रमाण पत्र, प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल और वन अधिकार अधिनियम सन् 2006 के अर्न्तगत जिला अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 25.09.2018 व दिनांक 05.10.2018 को उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता विद्युत प्रेषण उपखण्ड तृतीय राबर्टसगंज व क्षेत्रीय रेंजर द्वारा प्रभावित वन भूमि का संयुक्त निरिक्षण कराकर संयुक्त निरिक्षण प्रमाण पत्र एवं लैण्ड शैड्युल हस्ताक्षर करके क्षेत्रीय रेंजर को दे दिया गया था। जो आपके के कार्यालय में जमा कर दिया गया है एवं आपके पत्र के बिन्दु संख्या 6,7,8 के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 319.28 हेक्टेयर क्षे0 वन भूमि डेरापुर तहसील में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम में दर्शाये गये ग्राम सभा कि भूमि लैण्ड बैंक के अर्न्तगत वन विभाग को दी जा चुकि है एवं क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु उक्त 319.28 हेक्टेयर वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि रू0 8939840 की धनराशि चेक संख्या 53808 दिनांक 28.05.1993 को वन विभाग में उपलब्ध करा दी गयी है, यदि शासन के द्वारा क्षतिपुरक के सम्बन्ध में कोइ शर्त लगाई जायेगी तो मान्य होगा जिसकी वचन बद्धता प्रस्ताव में सलग्न है। तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 19.09.2019 को निर्गत किया जा चुका है जिसकी प्रति संलग्न है (पाँच प्रतियों में)।

अतः आपसे निवेदन है कि 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सकिट पारेषण लाइन की लीज नवीनिकरण प्रस्ताव को अपने स्तर से पूर्ण कराकर उच्च स्तर पर प्रेषित करना चाहें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक /वि0प्रे0ख0–II (वा)/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned by CamScanner

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division-II
Varanasi. 220 KV S/S Talwal Hydle Colony
Ghzipur pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड–द्वितीय
वाराणसी220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द्र
तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर पिन
233001

पत्रांक. 1645 वि0प्रे0खं–II (वा)/ दिनांक. 23/10/2019

विषय :– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 113.048 हेक्टेयर वन भूमि के लीज नवीनीण्करण के सम्बन्ध में ।

प्रभगीय वनाधिकारी
ओबरा वनप्रभाग सोनभद्र

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 977/ओबरा /15 भू0ह0 दिनांक 28.09.2018 के सन्दर्भ में

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में ओबरा–वन प्रभाग में प्रभावित कुल –113.048 हे0 वन भूमि के नवीनीकरण प्रस्ताव में कुछ कमियॉ दर्शायी गयी थी जैसे संयुक्त निरिक्षण प्रमाण पत्र, प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित लैण्ड श्डुयल और वन अधिकार अधिनियम सन् 2006 के अर्न्तगत जिला अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। उक्त के कम में अवगत कराना है कि दिनांक 15.09.2018 व दिनांक 20.09.2018 को उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता विद्युत प्रेषण उपखण्ड तृतीय राबर्टसगंज व क्षेत्रीय रेंजर द्वारा प्रभावित वन भूमि का सयुक्त निरिक्षण कराकर सयुक्त निरिक्षण प्रमाण पत्र एवं लैण्ड शैडयुल हस्ताक्षर करके क्षेत्रीय रेंजर को दे दिया गया था। जो आपके के कार्यालय में जमा कर दिया गया है एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 19.09.2019 को निर्गत किया जा चुका है जिसकी प्रति संलग्न है (पॉच प्रतियों में)।

अतः आपसे निवेदन है कि 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सकिट पारेषण लाइन की लीज नवीनिकरण प्रस्ताव को अपने स्तर से पूर्ण कराकर उच्च स्तर पर प्रेषित करना चाहें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. 1644 /वि0प्रे0खं0–II (वा)/ दिनांक. 23/10/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

प्राप्त किया
25/10/2019

Scanned by CamScanner